

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:- 403966 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 01/01/2019
ग्रा0वि0-3/स्था0-09-19/18

ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नलिखित महिला प्रसार पदाधिकारी/ प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित जिला आवंटित किया जाता है। संबंधित जिला पदाधिकारी क्रम संख्या-1 में अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन करेंगे तथा क्रम संख्या-2 में अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगे :-

क्र. सं.	ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापित जिला	APO का प्रभार
1	2	3	4	5	6	
1.	RDD/ 001380	श्रीमती शंभा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी	भागलपुर	प्रतीक्षारत (मुख्यालय)	खगडिया	मूल पद
2.	RDD/ 000930	श्रीमती पुष्प लता, महिला प्रसार पदाधिकारी	औरंगाबाद	प्रतीक्षारत (मुख्यालय)	शेखपुरा	APO का प्रभार

- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
- नव पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे।
- प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा। सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी व्यवस्था को विभाग के अगले आदेश से किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- नव पदस्थापित पदाधिकारी के वेतनादि (बकाया सहित) का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों का पदस्थापन उनसे प्राप्त अभ्यावेदन/ अनुरोध पत्र के आधार पर किया गया है। अतएव उक्त पदाधिकारियों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 403966

दिनांक:- 01/01/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-18-06/17

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, खगडिया एवं शेखपुरा/ उप विकास आयुक्त, खगडिया एवं शेखपुरा / जिला कोषागार पदाधिकारी, खगडिया एवं शेखपुरा / संबंधित नव पदस्थापित पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6 एवं 14, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



01/01

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 403966

दिनांक:- 01/01/2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।


01/01

सरकार के संयुक्त सचिव